न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8/2018 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

भग्गा पिता परथा जी गाडरी, निवासी पालनाखुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. गंगाराम पिता परथा जी गाडरी, निवासी पालनाखुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर मुकदमा नंबर 60/2012 निर्णय दिनांक 10–04–2018

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री खेमराज डांगी अभिभाशक प्रार्थी
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक
3– श्री सुखराम डिडेल अभिभाषक विपक्षी सं. 2

———::———

निर्णय दिनांक

27–05–2019

प्रार्थी ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में पेशी दिनांक 22–04–2015 को नियत थी, लेकिन पत्रावली नहीं निकलने से पेशी नहीं दी गयी न प्रार्थी को कोई सूचना दी गयी। इसके बाद दिनांक 27–07–2016 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की अनुपस्थिति लिखी गयी है, लेकिन प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गयी है व बिना सूचना

दिये उक्त मामले में एकतरफा बहस सुनकर दिनांक 10–04–2018 को एकतरफा निर्णय पारित करते हुए विपक्षी संख्या 2 की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13–03–2012 निरस्त कर दिया तथा अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा गया, जो गलत है। विवादित भूमि पर विपक्षी संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा तथा बिना कब्जे के नियमन नहीं किया जा सकता। आप न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को बिना सुने दिनांक 10–04–2018 को निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–04–2018 को विधि सम्मत बताया तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रार्थी को दिनांक 22–04–2015 के लिए प्रकरण तामिल हुआ है। इस संबंध में प्रार्थी का कथन है कि उक्त दिनांक को पत्रावली पेश ही नहीं हुई, किन्तु इसके बाद इस न्यायालय में प्रकरण में करीब 26 पेशी होकर 27 वीं पेशी पर प्रकरण में बहस सुनी जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 10–04–2018 को निर्णय पारित किया गया है। यदि दिनांक 22–04–2015 को पत्रावली नहीं निकली तो इस संबंध में पार्थी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी तथा वह इसके बाद भी करीब 27 पेशियों तक उपस्थित क्यों नहीं हुए, यह प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है तथा इस न्यायालय के उक्त निर्णय में क्या त्रुटि रह गयी है, जिसे वह उक्त निर्णय को रिव्यू कराना चाहता है, यह भी प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। तद्नुसार प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः रिव्यू आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–04–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल

दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर